

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 310#
गुरुवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

युवाओं को पर्यटन गाइड प्रशिक्षण

310# डा. सोनल मानसिंह:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें पर्यटन गाइड प्रशिक्षण देने का विचार रखती है;
- (ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

युवाओं को पर्यटन गाइड प्रशिक्षण के संबंध में दिनांक 31.03.2022 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 310# के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन (आईआईटीएफ) कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक डिजिटल पहल है जिसका लक्ष्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाकर्ताओं का एक पूल बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच तैयार करना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए बुनियादी, उन्नत (विरासत और साहसिक), बोली जाने वाली भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है। उम्मीदवार इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को कहीं से भी और किसी भी समय और अपनी गति से कर सकते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विभिन्न डिजिटल उपकरणों से संचालित (एक्सेस) किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, वह एक पेशेवर रूप से प्रमाणित पर्यटक सुविधा प्रदाता होगा जो पर्यटकों को जानकारी का प्रसार करके, देश के बारे में उनमें रुचि पैदा करके और अनुभवात्मक पर्यटन प्रदान करने में उनकी सहायता करेगा। यह कार्यक्रम 01.01.2020 से ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। यह प्रमाणन कार्यक्रम भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), ग्वालियर द्वारा संचालित किया गया है।

अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणन (आईआईटीएफ) कार्यक्रम के लिए न्यूनतम पात्रता 18 से 40 आयु वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10+2 और 40 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों के लिए 10वीं कक्षा है। इसका पंजीकरण शुल्क 2000/- रुपये है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के निवासियों और नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षात्मक जिलों के लिए छूट दी गई है।

इस कार्यक्रम के अग्रिम चरण (आईआईटीजी-विरासत) में क्षेत्रीय स्तर के गाइडों (आरएलजी) को भी शामिल किया गया है और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पूरा होने पर उनका नाम बदलकर अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) कर दिया गया है।

28.03.2022 तक, अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन (आईआईटीएफ) के पोर्टल पर पंजीकरण की कुल संख्या 11533 है। बेसिक आईआईटीएफ कोर्स के दो बैच पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं और उनमें 3071 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। कुल 1549 आरएलजी ने भारत पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा संचालित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय उम्मीदवारों को थाई, जापानी, चीनी और वियतनामी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण प्रदान करने वाले भाषाई पर्यटक सुविधा प्रदाता (एलटीएफ) कार्यक्रम भी संचालित करता है। भाषाई पर्यटक सुविधा प्रदाता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्ष-वार और पाठ्यक्रम-वार संख्या निम्नप्रकार है: -

क्र.सं.	भाषा का नाम.	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या			
		2018-19	2019-20	2020-21*	योग
1.	चीनी	26	106	40	172
2.	थाई	111	97	40	248

3.	जापानी	78	72	40	190
4.	वियतनामी	-	35	40	75
योग		215	310	120	645

* यह प्रशिक्षण 15/03/2021 को शुरू किए गए थे लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण प्रशिक्षण रोक दिए गए हैं।

(ग): पर्यटन मंत्रालय भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है। अपनी चल रही गतिविधियों के एक अंग के रूप में, यह "अतुल्य भारत" ब्रांड-लाइन के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों की, "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" (डीपीपीएच) और "बाजार विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार" (ओपीएमडी) की योजना के माध्यम से विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है, यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों, पर्यटन संबंधी सम्मेलनों/ सेमिनारों/समागमों, रोड शो और प्रचार के लिए अन्य प्रचार गतिविधियों में भाग लेता है। मंत्रालय के वेबसाइट (www.incredibleindia.org) और सोशल मीडिया खातों के माध्यम से भी नियमित रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति, कम ज्ञात स्थलों, स्थानीय गंतव्यों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में 'देखो अपना देश' पहल शुरू की है। इस पहल के तहत, मंत्रालय देश और इसके पर्यटन स्थलों/उत्पादों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए वेबिनार, ऑनलाइन प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जैसी प्रचार गतिविधियों का कार्यान्वयन कर रहा है। देखो अपना देश पहल को मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है।

पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन की बुनियादी संरचना के विकास के लिए 5507.40 करोड़ रुपये की राशि से 76 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और इसमें से 4466.32 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 से जारी किए जा चुके हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 13 विषयों को कवर करते हुए 76 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने अपनी तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के तहत चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थलों के विकास के लिए 1291.16 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2015 से 39 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और इसमें से 785.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
